रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243692
CG-DL-E-17022023-243692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
No. 709] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 739(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, पुत्र चरन सिंह संधू, निवासी ग्राम सरहाली, जिला-तरन तारन, पंजाब और ग्राम-रत्तोके, पुलिस स्टेशन चोहला साहिब, तरन तारन, पंजाब, जिसका संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से है और जो वर्तमान में सीमापार एजेंसियों के संरक्षण में लाहौर, पाकिस्तान में रह रहा है;

और, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं 1 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का पाकिस्तान स्थित आंतकवादी समूहों से सीधा संबंध है और वह बड़ी मात्रा में सीमापार से हथियारों, गोला बारुद, उग्रवादी हार्डवेयर के अतिरिक्त नशीले पदार्थों की तस्करी में भी सम्मिलित है;

और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा कई आंतकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के अतिरिक्त पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में विभिन्न दांडिक अपराधों जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, ठेके पर हत्या, डकैती, जबरन वसूली आदि में सम्मिलित रहा है;

और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के विरुद्ध रेड नोटिस सं. ए. 4612/6-2022 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा आतंकवाद में सम्मिलित है और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को उक्त अधिनियम के अधीन आंतकवादी के रुप में जोड़ा जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"54. हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 105(अ) तारीख 9 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 739(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Harwinder Singh Sandhu @Rinda, son of Charan Singh Sandhu, resident of Village- Sarhali, District-Tarn Taran, Punjab and Village- Rattoke, Police Station-Chohla Sahib, Tarn Taran, Punjab, is associated with Babbar Khalsa International(BKI) and is presently based in Lahore, Pakistan under the patronage of cross border agencies;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial No. 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda has direct links with Pakistan based terrorist groups and is also involved in cross border smuggling of arms, ammunition, militant hardware besides drugs in large scale;

And whereas, the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda remained involved in various criminal offences like murder, attempt to murder, contract killing, robbery, extortion, etc. in the States of Punjab, Maharashtra, Haryana, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh besides being involved in several terrorist activities;

And whereas, Red Notice No., A-4612/6-2022 has been issued against Harwinder Singh sandhu @Rinda;

And whereas, the Central Government believes that Harwinder Singh Sandhu @Rinda is involved in terrorism and the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 53 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"54. Harwinder Singh Sandhu @Rinda".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 105 (E), dated the 9th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.17 17:17:26 +05'30'